न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला पाली (राजस्थान)

राजस्व लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोसेलाव

पीठासीन अधिकारी– श्री विनोदकुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं. 04 / 2009
दायरा तिथि 21.01.2009
निर्णय तिथि 10.07.2017

वादी–

केसाराम पुत्र वरदाजी
जाति सिरवी निवासी कोसेलाव
तहसील सुमेरपुर जिला पाली
(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण–

1–मूला पुत्र वरदाजी
2–इन्दा पुत्र भुदरजी
3–मूली पुत्री भुदरजी
4–जमु पुत्री भुदरजी
5–जती पुत्री भुदरजी
6–थानाराम पुत्र शेराजी
7–सुजाराम पुत्र शेराजी
तमाम जाति सिरवी निवासी कोसेलाव
तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)
8–स्व.भीका पुत्र भगाजी के का.मु.–
8/1–राजी बेवा स्व.भीकाजी
8/2–दीपा पुत्र स्व.भीकाजी
8/3–जीवा पुत्र स्व.भीकाजी
8/4–सुजा पुत्र स्व.भीकाजी
8/5–मूला पुत्र स्व.भीकाजी
8/6–रामा पुत्र स्व.भीकाजी
तमाम जाति सिरवी निवासी मोलडी
तहसील पाली जिला पाली (राज.)
9–हंजा बेवा पुराजी
10–गणेशराम पुत्र पुराजी
11–दुदाराम पुत्र पुराजी
तमाम जाति सिरवी निवासी कोसेलाव
तहसील सुमेरपुर जिला पाली (राज.)
12–चेलाराम पुत्र पेमाजी जाति सिरवी
निवासी कोसेलाव हाल सुमेरपुर
जिला पाली (राज.)
13–तहसीलदार सुमेरपुर
जिला पाली (राज.)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट,1955

–: नि र्ण य :–

निर्णय तिथि 10.07.2017

उपरोक्त प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

(1) कि यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प–अटल सेवा केन्द्र कोसेलाव में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। प्रश्नगत मामले में भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच रिपोर्ट पेश की जिसे रेकर्ड पर लिया गया। राजस्व लोक अदालत की मंशा के अनुरूप पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध

लगातार–2

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

अदालत की मंशा के अनुरूप पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले की वाद–विषयक स्थिति अनुसार वादी द्वारा यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रस्तुत कर इस आशय का निवेदन किया है कि सरहद मौजा कोसेलाव तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 855 रकबा 3.76 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दा., खसरा नं. 907 रकबा 0.04 हेक्टर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा नं 910 रकबा 8.43 हेक्टर किस्म चा.दो.जा.दा. कुल रकबा 12.23 हेक्टर वार्षिक लगान रूपये 267.02 वादी व प्रतिवादी स.01 लगाय 12 की संयुक्त कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि आयी हुई है, जिसमें वादी का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं.01 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी स.02 लगाय 05 का 2/9 हिस्सानुसार रकबा 0.1693 हेक्टर, प्रतिवादी सं.06 का 1/9 हिस्सानुसार रकबा 0.0846 हेक्टर, प्रतिवादी सं.07 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं.8/1 लगाय 8/6 का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं.09 का 1/27 हिस्सा, प्रतिवादी सं.10 का 1/27 हिस्सानुसार 0.27465 हेक्टर, प्रतिवादी स.11 का 1/27 हिस्सानुसार 0.27465 हेक्टर व प्रतिवादी सं.12 का 0.8493 हेक्टर खातेदारी हक–हकूक आता है, के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं.01 लगाय 12 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में अलग–2 खातों का इन्द्राज करवाये जाने तथा वादी के बंट व हक–हिस्से की खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण या उनके प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे, इस अमर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के जारी फरमावे। वादी ने वादपत्र के साथ साक्ष्य दस्तावेज क्रमशः जमाबंदिया–दो संवत् 2064–67 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतियां पेश की है।

(2) कि प्रश्नगत् मामले में प्रतिवादी सं.01, 02, 06 व 07 की ओर से जवाबदावा व काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर जाहिर किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की जरूर है लैकिन वादी का 1/12 हिस्सा खातेदारी का नही आता है राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम गलत दर्ज चल रहा है जबकि वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/6 हिस्सा खातेदारी का आता है, इसी प्रकार वादी ने अन्य प्रतिवादीगण के जो हिस्से वादग्रस्त भूमि में बताऐ है ऐसा कोई हिस्सा किसी प्रतिवादीगण के नहीं आता है। करीब 50 वर्षो पूर्व वादी व प्रतिवादी सं.01 ग्राम माण्डल में रहवास करते थे, उस समय वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी स.02 के पिता वरदाजी के कब्जे काश्त में रही लेकिन वरदाजी ने अपने जीवनकाल में वादी व प्रतिवादी सं.01 के आपसी मौखिक रूप से बटवाडा करवा दिया था और बंटवाडा अनुसार ग्राम माण्डल की कृषि भूमि वादी केसाराम को दी गई व ग्राम कोसेलाव की उक्त वादग्रस्त हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं.01 मूलाराम को दी गई। इसलिए उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के 1/6 हिस्से पर प्रतिवादी सं.01 का ही गत् 50 सालों से अपनी सुविधा अनुसार कब्जा काश्त रहा है, जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादी का किसी प्रकार से कब्जा काश्त नही रहा हैं, अतः वादी का यह वादपत्र कानूनन म्याद बाहर होने से तथा चलने योग्य व पोषणीय नहीं होने से काबिल खारिज है, खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी सं.01 का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमावे व वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 855, 907 व 910 के 1/6 हिस्से का प्रतिवादी सं.01 को खातेदार घोषित कर प्रतिवादी सं.01 के 1/6 हिस्से में वादी या उनका कोई भी प्रतिनिधि किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमावे।

(3) कि प्रश्नगत् मामले में भू–अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव ने वादग्रस्त कृषि भूमि बाबत राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि वादी व प्रतिवादी सं.01 दोनों भाई है, इन दोनों के नाम ग्राम कोसेलाव व माण्डल में संयुक्त खातेदारी आयी हुई है जिसमें से वादी ग्राम माण्डल में स्थित कृषि भूमि पर काबिज है व प्रतिवादी सं.01 व अन्य खातेदार ग्राम कोसेलाव की उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी स.01 मूलाराम ने अपने नाम दर्ज सम्पूर्ण भूमि को वर्ष 2015 के दौरान अपनी पुत्री लक्ष्मीदेवी पत्नी चेलाराम जाति सिरवी के पक्ष में बैचान कर देने से नामान्तकरण स. 2030/12.05.2015 के जरिए क्रेता के नाम खातेदारी दर्ज की गई और मौके पर कब्जा लक्ष्मीदेवी का ही कब्जा काश्त है, प्रतिवादी सं.01 मूलाराम की मृत्यु गत् वर्ष 2016 में हो चुकी है। लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner

(4) कि प्रश्नगत् मामले मे राजस्व लोक अदालत केम्प की मशा के अनुरूप पक्षकारो को सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से पत्रावली पर उल्लेखित तमाम तथ्यो, कथनो व साक्ष्य दस्तावेजात पर मनन, विचारण व परीक्षण करने के तद्परान्त हमने यह पाया गया है कि इस वाद पत्रावली के जरिए वादी ने जिस वादग्रस्त हिस्सा भूमि के बारे मे बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री चाही गई है वह वादग्रस्त हिस्सा भूमि भू-अभिलेख निरीक्षक कोसेलाव की तथाकथित जांच रिपोर्ट अनुसार नामान्तकरण सं. 2030 / 12.05.2015 के जरिए खरीदकर्ता लक्ष्मीदेवी पत्नी चेलाराम जाति सिरवी के नाम राजस्व रेकर्ड मे बतौर खातेदारी दर्ज हो रखी है तथा बैचानकर्ता प्रतिवादी स. 01 मूलाराम की मृत्यु गत् वर्ष 2016 मे हो चुकी है तो वादी को यह चाहिए था कि प्रथमत: इस विचारण वाद पत्रावली मे प्रतिवादी स.01 स्व.मूलाराम के विधिक वारिसान की सूचना विधिक रूप से नियत समयावधि में प्रस्तुत करते द्वितीयत: तथाकथित नामान्तकरण स. 2030 / 12.05.2015 के जरिए वादग्रस्त हिस्सा भूमि खरीदकर्ता लक्ष्मीदेवी पत्नी चेलाराम जाति सिरवी के नाम राजस्व रेकर्ड मे खातेदारी दर्ज हो रखी है तो इस विचारण प्रकरण मे वर्तमान खातेदार लक्ष्मीदेवी पत्नी चेलाराम जाति सिरवी को विधिक रूप से पक्षकार बनाते जो कि कानूनन व आवश्यक पक्षकार है, को बतौर प्रतिवादी के पक्षकार सयोजित करना चाहिए था, परन्तु वादी द्वारा ऐसा नही करके कानूनी भूल की है। इसलिए प्रश्नगत् प्रकरण मे उल्लेखित विश्लेषण व विवेचनाओं के फलत: हमारी विधिक राय है कि वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत प्रथमत: चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नही होने से इसे सव्यय खारिज किया जाना उचित समझते है।

अत: उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यो के परिणामत: वादी का यह वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के सरहद मौजा कोसेलाव तहसील सुमेरपुर मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि हाल खसरा नं. 855, 907 व 910 कुल रकबा 12.23 हेक्टर वार्षिक लगान रूपये 267.02 के बारे में कतिपय प्रावधानों के तहत बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तहत बंटवाडा करवाये जाने व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्ति बाबत प्रथमत: चलने योग्य व परिपोषणीय प्रतीत नही होने से इसे सव्यय खारिज किया जाता है। माफिक निर्णय, प्राथमिक डिक्री-पर्चा मुतिब हो।

यह निर्णय बरोज आज दिनांक 10.07.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प कोसेलाव में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner